न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू

(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 291/2025 दर्ज तिथिः–28.10.2025

1. आमीन खां पुत्र जुमा उर्फ जमालुदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चूरू
2. शाखा प्रबंधक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री अशोक सिहाग।
प्रतिवादीः– पैरोकार सरकार।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.एक्ट, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की पैतृक खातेदारी की भूमि रोही मौजा साहवा की जमाबंदी सम्वंत 2075–2078 के खसरा नं. 3329/3222 तादादी 3.6038 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यही विवादित कृषिभूमि है। वादी की उक्त खसराजात की कृषिभूमि पैतृक भूमि है जिसका मुताबिक कब्जा कास्त के अनुसार वादी कास्त करता आ रहा है जिसको लेकर किसी भी प्रकार कोई वाद–विवाद पुर्व व वर्तगान में नहीं है। परन्तु विभाजन के समय तरमीम का राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत रूप से अंकन हो गया। वास्ते मुलाहिजा नवीनतम भू–नक्शा संलग्न वाद है। उक्त खसराजात की भूमि साहवा से नोहर रोड़ की चिपती भूमि है जिसका वादी वर्तमान में एक मात्र खातेदार काश्तकार है एवं मुताबिक कब्जा के अनुसार काश्त करता आ रहा है। परन्तु तरमीम का सहवन से गलत अंकन होने के कारण भविष्य में उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए वादी के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है वास्ते मुलाहिजा कब्जा कास्त अनेक्चर (क)' संलग्न वाद है। उक्त खसराजात की भूमि का वर्तमान में किसी प्रकार का वाद विवाद नही है व न ही कब्जे पर दर्ज भूमि बावत अन्य पड़ोसी खातेदार से कोई विवाद है। उक्त खसराजात की भूमि का तरमीम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने बावत प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा लेकिन दिनांक 27.10.2025 कर बमुकाम उप तहसील कार्यालय

Rajendra

साहवा में क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुए साफ इन्कार हो गये। उक्त खसराजात की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 के रहन है इसलिये प्रतिवादी सं. 2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादित कृषिभूमि का लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है इसलिये तहसीलदार तारानगर को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया गया है। विवादित कृषिभूमि एवं वाद पक्षकारान इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसलिये वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अंत में वाद पत्र पैतृक कृषिभूमि खसरा नं. 3329/3222 की तरमीम डिलिट कर मुताबिक कब्जा काश्त अनेक्चर (क) के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादी आमीन खां पुत्र जुमा उर्फ जमालुदीन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और बयान लेखबद्ध करवाये। वकील वादी ने पत्रावली के संलग्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में कृषिभूमि खसरा नं. 3329/3222 की तरमीम डिलीट कर मुताबिक कब्जा काश्त अनेक्चर (क) के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया।
3. मैनें वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

   - *ग्राम साहवा में खसरा नं. 3329/3222 तादादी 3.6038 हैक्ट. आमीनखां पुत्र जुमा उर्फ जमालदीन जाति मुसलमान निवासी साहवा खाते अ.विव. 631.470 वर्गमीटर वाणिजयक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड दर्ज है*
   - *ग्राम साहवा में नामान्तरकरण सं. 4383 दिनांक 03/02/2012 का सहमति खाता विभाजन का नामांतरण दर्ज होकर स्वीकृत हुआ व खाता विभाजन आदेश अनुसार ग्राम साहवा के ख. नं. 482 में विभाजन आदेशानुसार नक्शा लठा में तरमीम की गई।*
   - *ग्राम साहवा में वर्तमान डिजिटाइजड नक्शा में पूर्व के नक्शा लठा अनुसार तरमीम हुई है।*
   - *वर्तमान डिजिटाइजड नक्शा व पूर्व के नक्शा लठा में पैमाना से माप करने पर खं. नं. 3329/3222 व इससे उतर चिपता हुआ खं. नं. 2763/482 की मौका स्थिति व रकबा की गणना सही नहीं है।*
   - *मूल खं. नं. 482 में खाता विभाजन नामानतरण संख्या 4383 में विभाजित खं. नं. का रकबा अनुसार तरमीम सही नहीं है।*
   - *ग्राम साहवा के खं. नं. 482 में खाता विभाजन आदेशानुसार विभाजित खं. नं. की मौका व रकबा अनुसार तरमीम नियमानुसार शुद्धि हेतु प्रस्तावित है।*

5. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है कि वादी द्वारा पैतृक कृषिभूमि खसरा नं. 3329/3222 की विभाजन के समय तरमीम का राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत रूप से अंकन हो गया था तथा नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद–पत्र साबिक

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

राजस्व रिकॉर्ड व नायब तहसीलदार साहवा रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 नायब तहसीलदार साहवा रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 3329/3222 तादादी 3.6038 हैक्ट., है। भूमि के राजस्व रिकार्ड मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मौका व रकबा अनुसार भूमि की तरमीम शुद्ध की जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। नायब तहसीलदार साहवा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.11.2025 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हलका साहवा दिनांक 13.11.2025 निर्णय का भाग रहेगी। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)